

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या -180/2022
GCMS No. -2023/449

1. दीपक पुत्र प्रेमशंकरजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

-वादी

वनाम

1. श्यामुबाई पुत्री घीसुलालजी पत्नी भोजराजजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. प्रेमशंकर पुत्र भोजराजजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. कलावन्ती पुत्री भोजराजजी पत्नी नंदलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी हा०मु० चरलिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. कैलाशी पुत्री भोजराजजी पत्नी गोपाल जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी हा०मु० टाटरमाला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. धापुबाई पुत्री भोजराजजी पत्नी कैलाशचन्द्र जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी हा०मु० गंगरार तह० गंगरार जिला चित्तौडगढ राज०
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

- प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

- उपस्थित:- 1- श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया - अधिवक्ता वादीगण
2- श्री योगेन्द्र सौलंकी - परोकार सरकार स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :- 01.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके बोराखेडी पटवार हल्का बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं० 311 की आराजी नम्बर 1082/620 रकबा 0.2400 हेक्टैयर, आराजी नं० 134 रकबा 0.4000 हेक्टैयर लगानी 7 रुपये 60 पैसा, आराजी नं० 178 रकबा 0.0900 हेक्टैयर लगानी 3 रुपये 78 पैसा, आराजी नम्बर 274 बाडा रकबा 0.0600 हेक्टैयर, आराजी नं० 274 बाडा रकबा 0.0600 हेक्टैयर लगानी 5 पैसा, आराजी नं० 338 रकबा 1.0000 हेक्टैयर लगानी 19 रुपये, आराजी नं० 535 रकबा 0.9100 हेक्टैयर लगानी 17 रुपये 29 पैसा, आराजी नं० 566 रकबा 0.9100 हेक्टैयर लगानी 11 रुपये 97 पैसा, आराजी नं० 601 रकबा 1.3800 हेक्टैयर लगानी 26 रुपये 22 पैसा, आराजी नं० 619 रकबा 0.0100 हेक्टैयर ट्युबवेल, आराजी नं० 620 रकबा 1.5100 हेक्टैयर लगानी 28 रुपये 69 पैसा कुल किता 10 कुल रकबा 6.2300 हेक्टैयर कुल लगानी 114 रुपये 60 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार वाके ग्राम बडोली तहसील माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के



खाता नं० 387 की आराजी नं० 423 रकबा 0.2500 हेक्टेयर लगानी 4 रुपये 75 पैसा, आराजी नं० 425 रकबा 0.2400 हेक्टेयर लगानी 7 रुपये 32 पैसा, कुल किता 2 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात हैं जो वादी के नाना घीसुलाल जी के जमाने से चली आ रही हैं। घीसुलाल जी का देहान्त हो गया हैं, घीसुलाल जी के वैध उत्तराधिकारी उनकी पुत्री श्यामु बाई प्रतिवादी नं० 1 हैं, तथा प्रतिवादी नम्बर 1 श्यामुबाई के एक पुत्र प्रतिवादी नं० 2 प्रेमशंकर तथा तीन पुत्रीयां प्रतिवादी नम्बर 3 कलावन्ती प्रतिवादी नं० 4 कैलाशी एवं प्रतिवादी नं० 5 धापुबाई हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 2 प्रेमशंकर के एक पुत्र दीपक वादी हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाना घीसुलाल जी के जमाने की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात हैं वादग्रस्त आराजीयात में वादी का जन्म से अधिकार निहित होकर वादी का उक्त आराजीयात में बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित हैं। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी नं० 1 के हक हिस्से में वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं० 311 में वादी का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 2 का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 04 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 5 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं० 387 में वादी का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 2 का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 04 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 5 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, तथा उक्त हक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।
3. वादी ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजीयात में उपरोक्त वर्णित अनुसार वादी का हक हिस्सा घोषित करा कर खातेदारी में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं तथा वादी एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सुरत में मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए वादी वादग्रस्त खाता संख्या 311 व 387 में वादी का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 2 का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 4 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 5 का 1/5 हक हिस्सा घोषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं।
4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादीगण 1,2,3,4,5 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। वहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादी संस्था व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है व राजीनामे अनुसार वाके बोराखेडी पटवार हल्का बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं० 311 की आराजी नम्बर 1082/620 रकबा 0.2400 हेक्टेयर, आराजी नं० 134 रकबा 0.4000 हेक्टेयर, आराजी नं० 178 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 274 बाड़ा रकबा 0.0600 हेक्टेयर, आराजी नं० 274 बाड़ा रकबा 0.0600 हेक्टेयर, आराजी नं० 338 रकबा 1.0000 हेक्टेयर, आराजी नं० 535 रकबा 0.9100 हेक्टेयर, आराजी नं० 566 रकबा 0.6300 हेक्टेयर, आराजी नं० 601 रकबा 1.3800 हेक्टेयर, आराजी नं० 619 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं० 620 रकबा 1.5100 हेक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 6.2300 हेक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार वाके ग्राम बडोली माधोसिंह पटवार हल्का बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं० 387 की आराजी नं० 423 रकबा 0.2500 हेक्टेयर,

आराजी नं० 425 रकबा 0.2400 हेक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर स्थित हैं। वादग्रस्त खाता नं० 311 में वादी का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 2 का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 04 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 5 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं० 387 में वादी का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 2 का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 04 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं०.5 का 1/5 हक हिस्से अनुसार घोषित करा मौके पर काबिज अनुसार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अगल दरामद किया जाने का निवेदन किया ।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी व प्रतिवादी गण ने राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वाद वादी राजीनामे अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके बोराखेडी पटवार हल्का बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं० 311 की आराजी नम्बर 1082/620 रकबा 0.2400 हेक्टेयर, आराजी नं० 134 रकबा 0.4000 हेक्टेयर, आराजी नं० 178 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 274 बाड़ा रकबा 0.0600 हेक्टेयर, आराजी नं० 274 बाडा रकबा 0.0600 हेक्टेयर, आराजी नं० 338 रकबा 1.0000 हेक्टेयर, आराजी नं० 535 रकबा 0.9100 हेक्टेयर, आराजी नं० 566 रकबा 0.6300 हेक्टेयर, आराजी नं० 601 रकबा 1.3800 हेक्टेयर, आराजी नं० 619 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं० 620 रकबा 1.5100 हेक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 6.2300 हेक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार वाके ग्राम बडोली माधोसिंह पटवार हल्का बडोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं० 387 की आराजी नं० 423 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, आराजी नं० 425 रकबा 0.2400 हेक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर स्थित हैं। वादग्रस्त खाता नं० 311 में वादी का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 2 का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 04 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 5 का 1/5 हक हिस्सा निहित हैं, इस प्रकार वादग्रस्त खाता नं० 387 में वादी का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं० 2 का 1/10 हक हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 04 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं०.5 का 1/5 हक हिस्से अनुसार घोषित करा मौके पर काबिज अनुसार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेडा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,

निम्बाहेडा
न्यायालय